

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका सं०-15/औ०-01-21/2026-...../स्वा० पटना/दिनांक-

श्रीमती पूजा कुमारी, औषधि निरीक्षक, सुपौल-05 द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.05.2026 से दिनांक-27.10.2026 तक कुल-180 दिन उपभोगित/उपभोग किये जाने वाली अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 15/औ०-01-21/2026 - 4/5 (SA)/स्वा० पटना/दिनांक - 12.05.2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप औषधि नियंत्रक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/सहायक औषधि नियंत्रक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती पूजा कुमारी, औषधि निरीक्षक, सुपौल-05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

४५